"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2002—कार्तिक 8, शक 1924

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-2-8/2002/चौंतीस-1.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(दो) यह 1 नवंबर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, नियम, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की स्थापना के चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1980.
2.	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भरती तथा सेवा शर्तें नियम, 1980.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-2-8/2002/चौंतीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-8/2002/चौंतीस-1, दिनांक 30 अक्टूबर 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 30th October 2002

NOTIFICATION

No. F-2-8/2002/XXXIV-1.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000). The State Government, hereby, makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2002.

(ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time , specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before in the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate of license) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Laws (2)
1.	Class IV Services on the Establishment of Public Health Engineering Department Recruitment Rules, 1980.
2.	M. P. Public Health Engineering Department Work Charged and Contingency paid staff (Recruitment and conditions of Service Rules) 1980.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
INDIRA MISHRA, Additional Chief Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.